



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229743
CG-DL-E-17092021-229743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3502]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 3502]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3814(अ).—केन्द्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 38) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 93/2020 तारीख 31 दिसम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना सं. 10/2021 तारीख 27, फरवरी 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्या 966 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 20/2021 तारीख 31 मार्च 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्यांक 1432(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 74/2021 तारीख 25 जून, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 2580(अ) तारीख 25 जून, 2021 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की उपधारा (1) का प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, कि—

(अ) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) है (जिसे इसके पश्चात आयकर अधिनियम कहा गया है) और,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई की पूर्णता, किसी आदेश पारित करने से संबंधित है, आयकर अधिनियम के अध्याय XXI के अधीन शास्ति लगाने के लिए,-

- (i) 30 मार्च, 2022 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा तय की गई है, अथवा आयकर अधिनियम के अधीन ऐसी कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए विहित या अधिसूचित की गई है।
- (ii) 31 मार्च, 2022 वह अंतिम तारीख होगी जो ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर कर दिया जाएगा।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई का अनुपालन आयकर अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी की आधार संख्या सूचित करने के संबंधित है, और ऐसे कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया जाएगा।

(ब) जहां निर्दिष्ट अधिनियम बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988, (1988 का 45) (इसके बाद बेनामी अधिनियम के रूप में संदर्भित) और उप-धारा (1) के खंड (क) में संदर्भित किसी भी कार्रवाई को पूरा करना है। उक्त अधिनियम की धारा 3 का, बेनामी अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी करने और उप-धारा (3) के तहत या किसी आदेश को पारित करने से संबंधित है,-

- (i) 30 जून, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान बेनामी अधिनियम में निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; तथा
- (ii) 31 मार्च, 2022 वह अंतिम तारीख होगी जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।

[अधिसूचना सं. 113 /2021/ फा.सं. 370142/35/2020/टीपीएल-भाग1]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान)

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी और का.आ. 2580(अ) तारीख 25 जून, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।